अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों की शासकीय सुविधाओं के प्रति जागरूकता का अध्ययन

जगदीश कुमार*

जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ, तब धर्म निरपेक्ष संविधान की स्थापना हुई एवं प्रजातांत्रिक एवं गणतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई। अब एकीकृत सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया आरम्भ हुई है। इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। हमारे देश के निर्माताओं द्वारा ऐसा महसूस किया गया कि हमारे देश में कुछ मानव जातीय समूह ऐसे हैं जो सदियों से उपेक्षित, शोषित तथा उत्पीड़ित हैं। इसके कारण उनके बीच विकास नहीं हो पाया है। वे इस देश के निवासी होते हुए भी विकास की दृष्टि से काफी पीछे रह गये हैं। उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सुरक्षा प्रदान करना तथा विभिन्न योजनाओं से उन्हं विकसित बनाना अत्यन्त आवश्यक है।

जनजातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनको राष्ट्रीय संस्कृति के अनुरूप विकासित करने के लिए ही जनजातीय विकास की अवधारणाा विकसित की गई है। हमारे धर्म निरपेक्ष संविधान में वर्णित प्रावधानों को ध्यान् में रखते हुए जनजातियों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक सुरक्षा प्रदान की गई है तथा उनके विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लागू की गई है।

कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत के संविधान के अनेक अनुच्छेदों यथा 16,19, 164,243, 244, 275, 330,332, 334, 335, 338, 339, 340 तथा 342 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट प्रावधान किए गये हैं। संवैधानिक उपबन्धों के अतिरिक्त केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम असफल सावित हुए हैं। कार्यक्रय क्रियान्वयन का तरीका लचर, अव्यवस्थित व बेमन का है जिससे अपेक्षित सफलता अभी तक नहीं मिल सकी है (श्रीवास्तव, 2010)।

यद्यपि सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं ने जनजातियों में शिक्षा के प्रति रूचि को काफी बढ़ाया है फिर भी इस क्षेत्र में विकास के लिए सरकारी,, गैर–सरकारी स्तर पर काफी कुछ किया जाना आवश्यक है। (गुप्ता, 2008)।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के बच्चों का नामांकन शत–प्रतिशत नहीं हो पया है जबकि सरकार के तरफ से अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसके पीछे कमी या तो उसके क्रियान्वयन में है या फिर वांछित वर्ग की निष्क्रियता में है (पाण्डेय, 2008)।

* यू.जी.सी.(नेट) एस.आर.एफ., शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग, म.गां.काशी विद्यापीठ, वाराणसी

जनजातियों के शिक्षा के विकास हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जैसे– छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्ति, आरक्षण, आश्रम विद्यालय की स्थापना, छात्रावास, निःशुल्क गणवेश, साक्षरता प्रोत्साहन, निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना, रेमिडियल कोचिंग आदि। फिर भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। जायसवाल (2008) के अध्ययन के निष्कर्ष इंगित करते हैं कि जब तक जनजातियों में अपने हक व अधिकार के प्रति जागरूकता नहीं आ जाती तब तक उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त हो सकता।

इसी सन्दर्भ में प्रयास करते हुए प्रस्तुत शोध में सोनभद्र जिले के कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों में शासकीय सुविधाओं के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्पादित किया गया–

1. शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के जनजातीय विद्यार्थियों की शासकीय सुविधा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. जनजातीय छात्र एवं छात्राओं की शासकीय सुविधाओं के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
3. शासकीय सुविधाओं की जानकारी मिलने के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करना।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। इस अध्ययन में उ0 प्र0 के सोनभद्र जनपद के यू0पी0बोर्ड द्वारा संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को लिया गया है तथा इन विद्यालयों में कक्षा 11 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इसमें विषय की बाध्यता को महत्व नहीं दिया गया है। अध्ययन के लिए कुल 200 विद्यार्थियों का चयन उनकी विद्यालय में उपस्थिति के आधार पर किया गया तथा केवल शिक्षा सम्बन्धी शासकीय योजनाओं को ही अध्ययन हेतु चयनित किया गया है।

तालिका – 1 विद्यार्थियों का पृष्ठभूमिक आधार पर विवरण

क्र. सं.	पृष्ठभूमिक आधार	विद्यार्थियों की संख्या	विद्यार्थियों का प्रतिशत
1	लिंग		
	(i) पुरूष	150	75
	(ii) महिला	50	25
2	क्षेत्र		
	(i) शहरी	125	62.50
	(ii) ग्रामीण	75	37.50

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल विद्यार्थियों में से 75 प्रतिशत पुरूष तथा 25 प्रतिशत महिलाएं हैं जबकि उन्हीं में से 62.50 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के तथा 37.50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के निवासी थे।

उपकरण

शासकीय सुविधाओं की जाँच हेतु शोधकर्ता द्वारा निर्मित ''शासकीय सुविधा जांच अनुसूची'' का प्रयोग किया गया जिसमें प्रत्येक कथन के सापेक्ष हाँ अथवा नहीं में प्रत्येक विद्यार्थी को उत्तर देना था। स्वनिर्मित उपकरण द्वारा शोधार्थी ने छात्र/छात्राओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर प्रदत्तों को संकलित किया गया।

सांख्यिकी विश्लेषण

शोधकर्ता ने चयनित विद्यालयों में जाकर कक्षा 11 के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को ''शासकीय सुविधा जांच अनुसूची'' को प्रशासित किया। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया को प्रतिशत में बदल दिया गया जिसका विवरण तालिका 2 में निम्नवत प्रस्तुत है:

तालिका–2 शासकीय सुविधाओं के सन्दर्भ में विद्यार्थियों द्वारा दिए गये उत्तरों का प्रतिशतीय विवरण (कुल सं0 – 200)

क्र. सं.	शासकीय सुविधाएं	जनजातीय विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों का प्रतिशत			
		शहरी	ग्रामीण	पुरूष	महिला
1	छात्रवृत्ति की सुविधा	100	100	100	100
2	आरक्षण की सुविधा	100	100	100	100
3	निःशुल्क प्रवेश	78.9	65.6	75.8	66.3
4	छात्रावास	70.1	56.4	70.0	61.3
5	निःशुल्क गणवेश	87.2	73.7	86.3	78.0
6	रेमेडियल कोचिंग	55.0	44.7	54.9	46.9
7	आश्रम पद्धति विद्यालय	72.6	66.0	72.8	61.1
8	पुस्तक बैंक योजना	39.0	32.5	33.9	27.0
9	मेधा उन्नयन योजना	32.9	21.5	30.0	25.9
10	साइकिल प्रदाय योजना	21.3	15.5	20.6	59.1

तालिका–2 से स्पष्ट है कि केवल छात्रवृत्ति एवं आरक्षण जैसी सुविधाओं के प्रति ही सभी विद्यार्थी जानकारी रखते हैं तथा 60 से 80 प्रतिशत छात्र–छात्राएं ही निःशुल्क प्रवेश, छात्रावास, निःशुल्क गणवेश एवं आश्रम पद्धति विद्यालय के प्रति जागरूक हैं। रेमेडियल कोचिंग, पुस्तक बैंक योजना, मेधा उन्नयन योजना तथा प्रतियोगिता पूर्व तैयारी योजना के प्रति छात्र–छात्राओं का प्रतिशत अत्यंत न्यून है। अर्थात इन योजनाओं के प्रति उनकी जानकारी अत्यंत कम है।

तालिका–3 लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी मिलने के स्रोतों का विवरण(कुल सं0–200)

क्र. सं.	स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1	समाचार पत्रों से	80	40
2	रेडियो एवं दूरदर्शन से	100	50
3	पड़ोसियों से	42	21
4	स्वयंसेवी संस्थाओं से	22	11
5	सरकारी सरथाओं (विद्यालय) से	120	60
6	जनप्रतिनिधियों से	28	14

तालिका–3 से स्पष्ट है कि केवल 60 प्रतिशत विद्यार्थियों को योजनाओं की जानकारी विद्यालयों एवं अन्य सरकारी संस्थाओं से प्राप्त होती है। जबकि 50 प्रतिशत विद्यार्थी संचार माध्यमों के द्वारा यह जानकारी प्राप्त करते हैं। अन्य स्रोतों की भूमिका अत्यंत न्यून पायी गई।

निष्कर्ष एवं व्याख्या

उपर्युक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि–

- शासकीय सुविधाओं में केवल छात्रवृत्ति एवं आरक्षण के प्रति ही सभी विद्यार्थी जागरूक हैं।
- 70–80 प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क गणवेश के प्रति जागरूक हैं।
- 60–70 प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क प्रवेश, छात्रावास एवं आश्रम विद्यालय के प्रति जागरूक हैं।
- अधिकतर विद्यार्थियों को अनेक योजनाओं की जानकारी उनके विद्यालयों से ही प्राप्त होती है। उसके बाद संचार माध्यमों की जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि निम्नलिखित सुझावों पर यदि ध्यान दिया जाय तो विद्यार्थी विभिन्न शासकीय सुविधाओं से अधिक लाभान्वित हो सकते हैं–

- विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जागरूकता स्तर को बढ़ाया जाना चाहिए।
- शिक्षा सम्बन्धी सभी योजनाओं के विषय में विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।
- आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर प्रत्येक योजनाओं पर अलग से कार्यक्रम जैसे– लघु नाटक, वाद–विवाद, प्रदर्शनी आदि का प्रसारण किया जाना चाहिए।
- स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र में विषय से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम कराये जाने चाहिए।

- सरकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु सरकार द्वारा ठोस रणनीति अपनाई जानी चाहिए और प्रत्येक जिम्मेवार अधिकारी की जनता के प्रति जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थः

- गुप्ता अंजली (2008), "बदलते परिवेश में जनजातीय समस्याएवं एवं कल्याण योजनाएं," कुरूक्षेत्र दिसम्बर, पृष्ठ 3–7.
- जायसवाल रंजना, (2000), "माध्यमिक स्तर पर आदिवासी बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक अभिवृत्ति का अध्ययन" शोध शिक्षा, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- मुखर्जी रविन्द्र नाथ (2009), "सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी" विवेक प्रकाशन, दिल्ली–7.
- पाण्डेय बैजनाथ, , (2008) "अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षा का प्रयास एव परिणाम" कुरूक्षेत्र, सितम्बर, पृष्ठ 8–11.
- श्रीवास्तव सुखपाल, (2010), "जनजातीय विकास की चुनौतियां" कुरूक्षेत्र, नवम्बर, पुष्ठ 4–8.